जयपुर, दिनांक 21.11.2023

<u>ई–निविदा सूचना</u>

शासन सचिवालय परिसर में आयोजित किये जाने वाले समारोह में टैन्ट, माईक एवं गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पसज्जा का कार्य कराये जाने हेतु अनुभवी सेवा प्रदाता से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन माध्यम से निम्न विवरणानुसार दर संविदा हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है : -

क्र.सं.	विवरण	विस्तृत विवरण
1	कार्य का विवरण	शासन सचिवालय परिसर में आयोजित किये जाने वाले समारोह में टैन्ट,
		माईक एवं गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पसज्जा का कार्य (विस्तृत
		विवरण एनेक्सर 'ई' में अंकित है) ।
2	निविदा की अनुमानित लागत (एक वर्ष के लिये)	13.00 लाख रूपये
3	बोली प्रतिभूति राशि (Bid security)	राशि रूपये 26,000 (छब्बीस हजार रूपये) ई-ग्रास के माध्यम से ऑनलाईन
		जमा कराने होगे
4	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र शुल्क 500.00 रुपये ई-ग्रास के माध्यम से ऑनलाईन जमा
		कराना होगा व निविदा प्रपत्र मूल्य पर जीएसटी राशि 90.00 रूपये का
		डी.डी. पृथक से प्रस्तुत करना होगा।
5	RISL प्रोसेसिंग शुल्क	500.00 रुपये। ई-ग्रास अथवा डी डी /बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा
		कराना होगा।
6	निविदा आमंत्रितकर्ता	उप शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग
7	निविदा प्रपत्र को अपलोड करने की तिथि व समय	दिनांक 21.11.2023 को 04.00 बजे
8	निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग	दिनांक 04.12.2023 को दोपहर 1.00 बजे तक
	शुल्क, ई ग्रास पर आनलाईन चालान द्रारा जमा	
	कराई गई राशि के चालान की हार्ड कापी व जीएसटी	
	की डीडी प्रस्तुत करने की तिथि व समय	
9	निविदा प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथी एवं समय	दिनांक 04.12.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक
10	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 04.12.2023 को सांय 04.00 बजे
11	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	तकनीकी रूप से योग्य निविदादाताओं को अलग से सूचित कर दिया जावेगा
12	अनुबंध की अवधि	मूल अनुबन्ध अवधि एक वर्ष
		स्वीक़ति पत्र जारी होने की दिनांक से एक वर्ष की होगी
13	कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance	अनुमोदित निविदा की 5 प्रतिशत
	security)	
14	बोली वैधता अवधि	90 दिवस, आपसी सहमति से बढाया जा सकता है । डिमाण्ड ड्राफ्ट की
		वैधता अवधि उसी अनुसार बढानी होगी।

निविदा की शर्ते:-

- 1. इच्छुक बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नामांकित http://www.eproc.rajasthan.gov.in के पोर्टल के साथ पंजीकृत होना होगा। यदि किसी कारणवश तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक को अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन उसी समय पर तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निर्धारित जीएसटी का निविदादाता द्वारा पृथक से डी.डी. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से प्रसतुत करना होगा। निविदाएँ आनलाईन ही स्वीकार की जावेगी।
- 2. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नही की जावेगी।
- 3. उक्त निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्मिक विभाग का होगा।
- 4. तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेत् अनिवार्य शर्ते:-
 - (1) निविदा प्रपत्र शुल्क 500.00 रुपये बोली प्रतिभृति राशि 26,000/- एवं RISL प्रसंस्करण शुल्क की राशि रूपए 500.00 ऑनलाईन ई ग्रास के माध्यम से जमा करवायी जानी आवश्यक है। बोली दस्तावेज मूल्य की जीएसटी की राशि रू. 90/- का डीडी/बैंकर चैक पृथक से उप शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, सचिवालय,जयपुर के नाम से प्रस्तुत करना होगा। जी.एस.टी राशि के डी.डी. का अपलोडेशन ई-प्रोक्योरमेन्ट पर भी किया जावें। डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। RISL शुल्क डीडी/बैंकर्स चैक के माध्यम से भी, जो Managing Director, RISL, जयपुर के नाम से बना हो, को जमा कराई जा सकती है।
- 5. तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु आवश्यक शर्तै:-
 - (1) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित छायाप्रति।
 - (2) निविदा के साथ जीएसटी नम्बर एवं जीएसटी रिटर्न दिनांक 31.03.2023 तक की छायाप्रति स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित उपलब्ध करावें।
 - (3) तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा संबंधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिए।
 - (4) अनुभव के संबंध में फर्म द्वारा वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में राजकीय विभागों/ राजकीय उपक्रमों/स्वायततशासी संस्थाओं में टैंट कार्य के संबंध में (तीनों वर्षों में कुल)10.00 लाख का अनुभव होना चाहिए एवं इस संबंध में आवश्यक दस्तावेजों की सत्यप्रति संलग्न करे।
 - (5) फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 2021-22 एवं 2022-23 में (तीनो वर्षों में कुल) फर्म का टर्नओवर रू.20.00 लाख होना आवश्यक है। इस हेत् निविदादाता अपने सी.ए. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

- (6) फर्म को किसी भी राजकीय विभागों/उपक्रमों/स्वायततशासी संस्थाओं द्वारा विवर्जित(Debared) नही किया गया हो, का घोषणा पत्र प्रस्तुत कराना होगा।
- तकनीकी दृष्टि से उपयक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
- 7. निविदा में आमंत्रित दरें स्वीकृति पत्र जारी किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अविध के लिये विधिमान्य होगी। निविदा अविध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-29 एवं 73 के नियमानुसार बढाई जा सकेगी। बोली प्रतिभूति (1) बोली प्रतिभूति राशि रूपये 26,000/- (अक्षरे छब्बीस हजार मात्र) ई-ग्रास के माध्यम से जमा कराये जाकर चालान की प्रति
- 8. निविदा राशि अनुमानित हैं। अनुबंध अवधि के दौरान व्यय, अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है।
- 9. राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के उपनियम-29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्यधीन होगी। कीमत गिरने संबंधी खण्ड दर संविदा के निबंधनों और शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए हर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा धारक फर्म कर के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्म और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।
- 10. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 प्रभावशील है। अतः उक्त निविदा पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होगें। इसके साथ ही जी.एफ.एण्ड ए.आर. के नियम भी प्रभावशील रहेगे।

11. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु : -

- (1.) शासन सचिवालय परिसर में आयोजित किये जाने वाले समारोह में टैन्ट, माईक एवं गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पसज्जा का कार्य किये जाने की दर संविदा हेतु दरे एक वर्ष की अविध (स्वीकृति पत्र जारी की दिनांक से) के लिए अनुमोदन कराने हेतु बोलीदाताओं को वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए. निविदा प्रथम भाग में तकनीकी निविदा प्रस्ताव एवं द्वितीय भाग वित्तीय निविदा प्रस्ताव होगें ।
- (2.) बोलीदाताओं को ई-निविदा प्रक्रिया को समझने के लिए वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से जाने के लिए और कड़ी "ठेकेदार के लिए मदद", "डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) के बारे में जानकारी", "पूछे जाने वाले प्रश्न" का उल्लेख है और चाहिए "बोलीदाताओं मैन्अल किट 'और वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक बोलियां प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया का पता करने के लिए बिन्दू संख्या 16 देखें।
- (3.) बोलीदाताओं को एक वर्ग 2 या ई निविदा पोर्टल के लिए एक लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण (सीए) द्वारा जारी वर्ग 3 श्रेणी के डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता है ।
- (4.) पूरा बोली दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइटों http://dop.rajasthan.gov.in और http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया गया है.।
- (5.) बोली दस्तावेज (तकनीकी और वित्तीय बोली) सहित सभी संचार / पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए ।
- (6.) तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थित में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा. तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की योग्यता प्राप्त बोलियों पर ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा. वित्तीय बोली हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को बाद में सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं/नामित प्रतिनिधियों की उपस्थित में खोली जाएगी।
- (7.) वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक प06(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.4.2020 के अनुसार बोलीदाताओं को निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभृति और ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क ई ग्रास पर ऑनलाईन चालान द्वारा जमा करवाकर व जीएसटी की बैंकर्स चैक/डी.डी. तकनीकी निविदा के साथ अपलोड भी करनी होगी तथा जीएसटी का मूल डीडी चालान एवं सभी दस्तावेजों की हार्डकॉपी दिनांक 04.12.2023 को दोपहर 1.00 बजे तक पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर के कक्ष में जमा करवानी होगी। इसके अभाव में निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
- (8.) आरआईएसएल प्रसंस्करण शुल्क डीडी अथ्वा बैंकर्स चैक के द्वारा Managing Director, RISL, जयपुर के नाम पर भी जमा करवाया जा सकता है। डीडी/बैकर्स चैक द्वारा राशि जमा की स्थिति में मूल डीडी/बैकर्स चैक कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है एवं इनका अपलोडेशन ऑनलाईन करना आवश्यक है।

ई-निविदा से संबंधित बिन्द्

- (1.) बोलीदाता ई उपापन की बेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in को देखें एवं बोली के लिए पंजीकरण और ई निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा ।
 - (2.) बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के पहले अच्छी तरह से अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए । कार्मिक विभाग आखिरी समय पर प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाता को पेश करने में आ रही किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा एवं समय सीमा/वेबसाइट पर प्रस्तुत नहीं की बोलियों को शामिल करने के लिए अनुमित का विस्तार से उपरोक्त कारणों की वजह से विचार नहीं किया जाएगा ।
 - (3.) बोलीदाताओं को बेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in/ पर रजिस्टर और ई-टेंडर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। ऑफ़लाइन प्रस्तुत बोलियों के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया किया जावेगा और खारिज कर दिया जाएगा ।
 - (4.) वित्तीय बोली के लिए, बोलीदाताओं बोली के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) डाउनलोड करना चाहिए और टेम्पलेट के लिए किसी भी संशोधन के बिना विवरण भरें । डाउनलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) में किए गए छेड़छाड/परिवर्तन प्रारूप वेबसाइट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
 - (5.) बोलीदाताओं को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वैध वर्ग 2 या वर्ग 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की जरूरत है ।
 - (6.) बोलीदाताओं को अपनी बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने आवश्यक है।
 - (7.) कार्मिक विभाग गैर अनुपालन के मामले में ई टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए बोलियों की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
 - (8.) बोलीदाताओं को सभी आवश्यक दस्तावेजों जिसका निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया है अपलोड करने की जरूरत है।
 - (9.) कोई शुद्धिपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा और इस बोली का एक हिस्सा होगा बोलीदाताओं को बोली से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इस वेबसाइट पर देखना चाहिए ।
 - (10.) बोलियां को ऑनलाइन खोला जाएगा । बोलीदाता कार्मिक (ख-3) विभाग में बोली ऑन लाईन खोलते समय उपस्थित हो सकते हैं ।
 - (11.) बोली दाता को उनकी निविदा दस्तावेज शूल्क, और ई-निविदा प्रिकया शूल्क प्रस्तुत करना चाहिए।
 - (12.) तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज केवल तकनीकी बोली में अपलोड और वित्तीय बोली से संबंधित वित्तीय बोली में ही अपलोड करने चाहिए ।
 - (13.) BoQ और वित्तीय बोली को भरने के लिए एनेक्सर-आई वित्तीय बोली प्रारूप में दिए गए ई टेंडरिंग पोर्टल में वित्तीय निविदा भरने के लिए निर्देश के लिए देखें ।
 - (14.) बोलीदाता के लिए अधिकतम अनुमेय आकार स्थानीय ग्राहक 2 जीबी या अधिक रैम होना चाहिए कि एक शर्त के साथ 20 एमबी 25 एमबी है. बोलीदाताओं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए न्यूनतम संकल्प में पीडीएफ प्रारूप में दस्तावेज़ को स्कैन करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं ।
 - (15.) ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लिए 20 मिनट का समय होगा ।
 - (16) ई-निविदा में निविदादाता को किसी प्रकार की परेशानी होने पर ई- प्रक्योरमेन्ट की हेल्प डेस्क नं; 0141- 4022688 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

शासन उप सचिव कार्मिक (ख) विभाग दूरभाष संख्या 0141-2227700

राजस्थान सरकार कार्मिक (ख—3) विभाग

तकनीकी निविदा प्रपत्र

शासन सचिवालय परिसर में आयोजित किये जाने वाले समारोह में टैन्ट, माईक एवं गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पसज्जा का कार्य (विस्तृत विवरण निविदा की विशेष शर्ते एनेक्सर 'ई' में अंकित है) ।

1	निविदा आमंत्रित करने वाला विभाग	कार्मिक (ख—3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर		
2	निविदा का संदर्भ	क्रमांक प. 1(7)कार्मिक/ख-3/2023 दिनांक : 21.11.2023		
3	निविदा अधीन कार्य का विवरण	शासन सचिवालय परिसर में आयोजित किये जाने वाले समारोह में टैन्ट, माईक एवं गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर प्ष्पसज्जा का कार्य (विस्तृत विवरण निविदा की		
		विशेष शर्ते एनेक्सर 'ई' में अंकित है) ।		
4	निविदा प्राप्त करने वाले अधिकारी नाम	शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग,		
		शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान ।		
5	ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय :	दिनांक 04.12.2023 को दोपहर 12.00 बजे		
6	ऑन लाईन तकनीकी निविदा खोलने का स्थान एवं	दिनांक 04.12.2023 को सांय 04.00 बजे उपापन समिति द्वितीय के द्वारा उपस्थित		
	समय :	निविदादाताओं के समक्ष उप शासन सचिव कार्मिक (ख) विभाग के कक्ष संख्या		
		3208 मुख्य भवन में खोली जावेगी ।		
7	निविदादाता का विवरण	नाम		
		पता		
		टेलिफोन न.		
		मोबाईल		
		प्राधिक़त व्यक्ति का नाम		
		पदनाम		
8	निविदा शुल्क राशि	500/- (अक्षरे रूपये पांच सौ मात्र) ई-ग्रास पर ऑनलाईन चालान द्वारा जमा कराना		
		होगा। एवं जीएसटी 90.00 रूपये की डी.डी./बैंकर्स चैक शासन उप सचिव, कार्मिक		
		(ख) विभाग के नाम बनाकर साईट पर अपलोड करवाकर मूल डीडी/बैंकर्स चैक		
		विभाग में प्रस्तुत करना होगा।		
9	ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	500/- (अक्षरे रूपये पांच सौ मात्र) ई-ग्रास पर ऑनलाईन अथवा Managing		
_	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Director, RISL, जयपुर के नाम डी डी/बैकर्स चैक द्वारा जमा कराना होगा।		
10	बोली प्रतिभूति राशि	राशि रूपये 26,000 (छब्बीस हजार रूपये) ई-ग्रास के माध्यम से ऑनलाईन चालान		
		द्वारा जमा कराने होंगे ।		
11	अनुभव के संबंध में फर्म द्वारा वर्ष 2020-21, 2021- 22 एवं 2022-23 तीनो वर्षों में राजकीय विभागों,	वर्ष विभाग का नाम कार्य राशि अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें		
	राजकीय उपक्रमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं में टैन्ट	फर		
	कार्य के संबंध में कुल राशि रूपये 10.00 लाख का			
	अनुभव होना चाहिए एवं इसके संबंध में आवश्यक			
	दस्तावेज संलग्न किया जावे			
12	जीएसटी रिटर्न की दिनांक 31.03.2023 तक की स्वयं	प्रति संलग्न करें		
	द्वारा प्रमाणित प्रति एवं जीएसटी प्रमाण की प्रति			
13	आयकर पैन नम्बर	प्रति संलग्न करें		
	पैन कार्ड की छायाप्रति			

14	फर्म द्वारा	वर्ष 2020-21 2021-22 एवं	2022-23	विक्रय /टर्नऔवर रूपये	सीए से प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें
		में कुल टर्नऔवर रूपये 20.00			
		है, इस हेतु सीए द्वारा जारी प्रम	ाण पत्र की		
	स्वय द्वारा	प्रमाणित प्रति संलग्न करें			
			,		(7) (7)
15.				ां/स्वायततशासी संस्थाओं द्वारा विवर्जि	त (Debared) नहां किया गया
		घोषणा पत्र प्रस्तुत कराना			
16.				न की गई है। बोलीदाता की तकनीर्क	ो क्षमता हेतु निम्न दस्तावेजो
	स्वयं द्व	•	नीकी निवि	वेदा के साथ संलग्न करने हैं :-	
	(1)	एनेक्सर-ए हस्ताक्षरित		पृष्ठ संख्या	
	(2)	एनेक्सर-बी हस्ताक्षरित		पृष्ठ संख्या	
	(3)	एनेक्सर-सी हस्ताक्षरित		पृष्ठ संख्या	
	(4)	एनेक्सर -डी हस्ताक्षरित		पृष्ठ संख्या	
	(5)	एनेक्सर-ई हस्ताक्षरित		पृष्ठ संख्या	
	(6)	एनेक्सर-एफ हस्ताक्षरित		पृष्ठ संख्या	
	(7)	एनेक्सर-जी हस्ताक्षरित		पृष्ठ संख्या	
	(8)	एनेक्सर-एच हस्ताक्षरित		पृष्ठ संख्या	
17.	यह कि	मै/ हम (नाम)		कार्मिक	विभाग द्वारा प्रकाशित निविदा
	सूचना	क्रमांक प0 1(7)/कार्मिक/	ख-3/202	3 दिनांक 21/11/2023 के अनुसरण व	में शासन सचिवालय परिसर में
	आयोजि	त किये जाने वाले समारोह	इ में टैन्ट,	माईक एवं गांधी जी की प्रतिमा स्थल	। पर पृष्पसज्जा का कार्य किये
				पत्र जारी की दिनांक से) के लिए	
					المالية
		क साथ । नम्न । लाखत दस		ात्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ ∕रहे हैं-	
	(1)		पृष्ठ सख	या	
	(2)		पृष्ठ संख	न्या	
	(3)		पृष्ठ संख	या	
	(4)		पृष्ठ संख	या	
	(6)		पृष्ठ संख	या	
	(7)		पृष्ठ संख	या	
	(8)		पृष्ठ संख	ऱ्या	
	(9)		पृष्ठ संख	या	
	(10)		पृष्ठ संख	या	

पृष्ठ संख्या

(11)

- 18. यह कि इस निविदा के सम्बन्ध में समस्त शर्तें मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है। मैं/हम उन शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।
- 19. यह कि इस निविदा के तहत अनुबन्ध होने पर निविदा में सप्लाई की जानी वाली सामग्री की दरों के अलावा किसी प्रकार का भ्रगतान नहीं किया जावेगा।
- 20. उक्त निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्मिक (ख) विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर का होगा ।
- 21. निविदा में अनुमोदित दरें, स्वीकृति पत्र जारी की दिनांक से एक वर्ष की अविध के लिये विधिमान्य होगी, जिसे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-29 एवं 73 के नियमानुसार बढाई जा सकेगी ।
- 22. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 23. (क) कार्यों हेतु अनुमानित मात्रा संलग्न **एनेक्सर-ई** के अनुसार है।
 - (ख) सप्लाई की जाने वाली सामग्री की दरें अलग से वित्तीय निविदा प्रपत्र एनेक्सर-आई में अंकित की जानी है।
- 24. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार जमा करानी होगी एवं अनबेलेन्सड बिंड के मामले में अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी
- 25. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 76 के अनुसार स्वयं के खर्चे पर रूपये 500/- के स्टाम्प पैपर पर अनुबंध करना होगा।
- 26. उक्त शर्तों के साथ-साथ निविदा पर जीएफ एण्ड एआर तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के सभी नियम लागू होगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोड़ सहित)	
मोबाइल फोन नम्बर	
ई-मेल पता	

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the
- not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

disclose conflict of interest, if any; and

disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country (h) during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

- A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.
- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the
- the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject
- Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1



Declaration by the Bidder

- I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our
 affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities
 suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, lomission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following

(a) determination of need of procurement;

- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised
- (6) Fee for filing appeal
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of appeal
- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public

FORM No. 1 Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement [See rule 83] Act, 2012 Appeal Noof Before the (First / Second Appellate Authority) 1. Particulars of appellant: (i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address: 2. Name and address of the respondent(s): (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal: 6. Grounds 7. Appellant's Signature

Annexure D: Additional Conditions of Contract 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained j. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected; in there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall
- subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the less man me quantity specified in the bilding coolaniest due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply Supplier.

Doct

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Schedule "1" (Work 1,2,3,4,5 and 6 as Mentioned in Annexure "E")

विगत वर्षों के आधार पर अनुमानित सामग्री का विवरण निम्नानुसार है, जिसमें कमी/बढोतरी संभावित है:-

1. गणतंत्र दिवस समारोह (26 जनवरी) में टैन्ट, माईक एवं पुष्पसज्जा हेतु अनुमानित न्यूनतम सामग्री का विवरण:—

豖.	आईटम/सामग्री	सामग्री की कुल मात्रा
सं.	,	3
1	वाटरप्रूफ मिनी डोम	16000 वर्ग फीट
2	कारपेट ग्रीन	24000 वर्ग फीट
3	कारपेट रेड	9000 वर्ग फीट
4	मेटिंग वूलन / गलीचा	200 वर्ग फीट
5	स्ट्रेट वॉल	8000 वर्ग फीट
6	कुर्सी डनलप मय कवर	900 नग
7	कुर्सी प्लास्टिक	100 नग
8	पोल कवर	110 नग
9	तख्त / प्लाईवुड	1550 नग
10	चादर बडी	2500 वर्ग फीट
11	पानी की बोतल (200 मि.ली.)	4000 नग
12	पानी की बोतल (500 मि.ली.)	240 नग
13	गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्प सज्जा हेतु	1 कार्य
	सामाग्री का नाम मात्रा	
	1. हजारा माला 400 माला (दो फीट लम्बी)	
	2. हरी माला 350 माला (दो फीट लम्बी) 3. गुलाब गुजरा 1 नग (8 फीट लम्बा)	
	3. गुलाब गजरा 1 नग (8 फीट लम्बा) 4. गुलाब पत्ती 15 किलो	
	५. हजारा पत्ती १५ किलो	
	 नवरंग फूल पत्ती 15 किलो 	
14	कालर माईक	8 नग
15	माईक का सामान (आवश्यकतानुसार समस्त	1 कार्य
	उपकरणों के साथ रिकॉडिंग सिस्टम भी होना	
	आवश्यक है)	
16	स्टेज	1200 वर्गफीट

2. शहीद दिवस (30 जनवरी) में टैन्ट, माईक एवं पुष्पसज्जा हेतु अनुमानित न्यूनतम सामग्री का विवरण:-

		· · · · · · · · · · · · · · · · ·
क्र.	आईटम/सामग्री	सामग्री की अनुमानित मात्रा
सं.		-
1	वाटरप्रूफ पाईप पाण्डाल	4500 वर्ग फीट
2	कारपेट ग्रीन	6500 वर्ग फीट
3	कारपेट रेड	2000 वर्ग फीट
4	मेटिंग वूलन / गलीचा	1200 वर्ग फीट
5	स्ट्रेट वॉल	1200 वर्ग फीट
6	मसन्द मय कवर	50 नग
7	गद्दा	120 नग
8	तख्त / प्लाईवुड	10 नग
9	चादर बडी	5000 वर्ग फीट
10	पानी की बोतल (200 मि.ली.)	720 नग
11	पानी की बोतल (500 मि.ली.)	120 नग
12	गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्प सज्जा हेतु	1 कार्य
	सामाग्री का नाम मात्रा	
	1. हजारा माला 400 माला (दो फीट लम्बी)	
	2. हरी माला 350 माला (दो फीट लम्बी)	
	3. गुलाब गजरा १ नग (8 फीट लम्बा)	
	4. गुलाब पत्ती 15 किलों	
	5. हजारा पत्ती 15 किलो	
	 नवरंग फूल पत्ती 15 किलो 	
13	माईक का सामान (आवश्यकतानुसार समस्त	1 कार्य
	उपकरणों के साथ रिकॉडिंग सिस्टम भी होना	
	आवश्यक है)	
14	स्टेज (वर्गफीट)	12 X 18

3. स्वतंत्रता दिवस समारोह (15 अगस्त) में टैन्ट, माईक एवं पुष्पसज्जा हेतु अनुमानित न्यूनतम सामग्री का विवरण:—

1998ण		
क्र.	आईटम/सामग्री	सामग्री की कुल मात्रा
सं.		
1	वाटरप्रूफ मिनी डोम	16000 वर्ग फीट
2	कारपेट ग्रीन	24000 वर्ग फीट
3	कारपेट रेड	9000 वर्ग फीट
4	मेटिंग वूलन / गलीचा	200 वर्ग फीट
5	स्ट्रेट वॉल	8000 वर्ग फीट
6	कुर्सी डनलप मय कवर	900 नग
7	कुर्सी प्लास्टिक	100 नग
8	पोल कवर	110 नग
9	तख्त / प्लाईवुड	1550 नग
10	चादर बडी	2500 वर्ग फीट
11	पानी की बोतल (200 मि.ली.)	4000 नग
12	पानी की बोतल (500 मि.ली.)	240 नग
13	गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्प सज्जा हेतु	1 कार्य
	सामाग्री का नाम मात्रा	
	1. हजारा माला 400 माला (दो फीट लम्बी)	
	2. हरी माला 350 माला (दो फीट लम्बी)	
	3. गुलाब गजरा 1 नग (8 फीट लम्बा)	
	4. गुलाब पत्ती	
	 हजारा पत्ता १५ विक्ला नवरंग फूल पत्ती १५ किलो 	
14	कालर माईक	8 नग
	•	
15	माईक का सामान (आवश्यकतानुसार समस्त	1 कार्य
	उपकरणों के साथ रिकॉडिंग सिस्टम भी होना	
	आवश्यक है)	
16	स्टेज	1200 वर्गफीट

4.शपथ ग्रहण समारोह में टैन्ट, माईक एवं पुष्पसज्जा हेतु अनुमानित न्यूनतम सामग्री का विवरण:-

क्र.	सामग्री का नाम	सामग्री की अनुमानित मात्रा
स.		
1	मिनी डोम (60 X 40)	2400 वर्ग फीट
2	कारपेट ग्रीन	20000 वर्ग फीट
3	कारपेट रेड	6500 वर्ग फीट
4	कुर्सी डनलप मय कवर	1100 नग
5	स्ट्रेट वॉल	8000 वर्ग फीट
6	पोल कवर	150 नग
7	माईक का सामान (आवश्यकतानुसार	1 कार्य
	समस्त उपकरणों के साथ रिकॉंडिंग	
	सिस्टम भी होना आवश्यक है)	
8	तख्त / प्लाईवुड	250 नग
9	पाईप पाण्डाल	10000 वर्ग फीट
10	चादर बडी	1200 वर्ग फीट
11	स्टेज (20 X 32)	640 वर्ग फीट
12	पानी की बोतल (200 मि.ली.)	2400 नग
13	पानी की बोतल (500 मि.ली.)	240 नग

5.गांधी जयंती (02 अक्टूबर) में टैन्ट, माईक एवं पुष्पसज्जा हेतु अनुमानित न्यूनतम सामग्री का विवरण:-

	(- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>
क्र.	आईटम/सामग्री	सामग्री की अनुमानित मात्रा
सं.		
1	वाटरप्रूफ पाईप पाण्डाल	4500 वर्ग फीट
2	कारपेट ग्रीन	6500 वर्ग फीट
3	कारपेट रेड	2000 वर्ग फीट
4	मेटिंग वूलन / गलीचा	1200 वर्ग फीट
5	स्ट्रेट वॉल	1200 वर्ग फीट
6	मसन्द मय कवर	50 नग
7	गद्दा	120 नग
8	तख्त / प्लाईवुड	10 नग
9	चादर बडी	5000 वर्ग फीट
10	पानी की बोतल (200 मि.ली.)	720 नग
11	पानी की बोतल (500 मि.ली.)	120 नग
12	गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्प सज्जा हेतु	1 कार्य
	सामाग्री का नाम मात्रा	
	1. हजारा माला 400 माला (दो फीट लम्बी)	
	2. हरी माला 350 माला (दो फीट लम्बी)	
	3. गुलाब गजरा १ नग (8 फीट लम्बा)	
	4. गुलाब पत्ती 15 किलों	
	5. हजारा पत्ती र् १५ किलो	
	6. नवरंग फूल पत्ती 15 किलो	· ·
13	माईक का सामान (आवश्यकतानुसार समस्त	1 कार्य
	उपकरणों के साथ रिकॉडिंग सिस्टम भी होना	
	आवश्यक है)	
14	स्टेज (वर्गफीट)	12 X 18

6. आवश्यकतानुसार विशेष आयोजन में टैन्ट, माईक एवं पुष्पसज्जा हेतु अनुमानित न्यूनतम सामग्री का विवरण:-

क्र.	सामग्री का नाम	सामग्री की अनुमानित मात्रा
स.		
1	मिनी डोम (60 X 40)	2400 वर्ग फीट
2	कारपेट ग्रीन	13000 वर्ग फीट
3	कारपेट रेड	6000 वर्ग फीट
4	कुर्सी डनलप मय कवर	1000 नग
5	स्ट्रेट वॉल	8000 वर्ग फीट
6	पोल कवर	140 नग
7	माईक का सामान (आवश्यकतानुसार समस्त	1 कार्य
	उपकरणों के साथ रिकॉडिंग सिस्टम भी होना	
	आवश्यक है)	
8	तख्त / प्लाईवुड	200 नग
9	पाईप पाण्डाल	9000 वर्ग फीट
10	चादर बडी	500 वर्ग फीट
11	स्टेज (20 X 32)	640 वर्ग फीट
12	पानी की बोतल (200 मि.ली.)	2400 नग
13	पानी की बोतल (500 मि.ली.)	240 नग

(schedule-I I)

क		सामग्री का विवरण	
स			
1	त्रिपाल (वर्ग फुट)		
2	कुर्सी डनलप मय कवर (नग)		
3	कुर्सी प्लास्टिक (नग)		
4	तस्त (नग) 2' x 6'		
5	स्टेज (वर्ग फुट)		
6	कालीन/कारपेट वूलन(वर्ग फुट)		
7	पाईप पाण्डाल (वर्ग फुट)		
8	मिनी डोम वाटरप्रूफ (वर्ग फुट)		
9	चुन्नट पर्दा (वर्ग फुट)		
10	स्टरेट वॉल (वर्ग फुट)		
11	मेटिंग(नॉन वूलन कारपेट) (वर्ग फुट)		
12	गददा छोटा 3' x 6' (नग)		
13	मसन्द मय कवर (नग)		
14	चादर बडी (वर्ग फुट)		
15	ड्रम (नग)		
16	पोल कवर (नग)		
17	स्टेज सीढी (नग)		
18	कॉलर माईक (नग)		
19	माईक का सामान् (आवश्यकतानुसार समस्तः	उपकरणों के साथ रिकॉडिंग सिस्टम भी होना आवश्यक है)	
20	गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पसज्जा हेतु		
	सामग्री का नाम		
	हजारा माला (दो फीट लम्बी)	प्रतिनग	
	हरी माला (दो फीट लम्बी)	प्रतिनग	
	गुलाब गजरा(8 फीट लम्बा)	प्रतिनग	
	गुलाब पत्ती	प्रति किलो	
	हजारा पत्ती	प्रति किलो	
	नवरंग फूल पत्ती	प्रति किलो	
21	मिनरल वॉटर की बोतल (200 मि.ली).		
22	मिनरल वॉटर की बोतल (500 मि.ली.)		
23	पानी का कैम्पर 20 लीटर (नग)		
24	टॉवर एसी फिटिंग सहित (3 टन) (नग)		
25	डिस्पोजल कागज पानी ग्लास 100 नग पैकेट	(नग)	
26	मिस्ट फैन फिटिंग सहित (नग)		
27	सोफा कवर सहित डबल सीट (नग)		
28	जम्बो कूलर फिटिंग सहित (नग)		
29	प्लाई वूड (4 x 8) (नग)		
चोर-			

नोट-

जिस फर्म की अधिकतम आईटमों की दरें न्यूनतम पायी जायेगी, उस फर्म को अन्य फर्मों के नयूनतम दरों वाले आईटम पर सहमति के आधार पर Schedule-I I के एल-1 का निर्धारण किया जायेगा।

निविदादाताओं द्वारा धोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम राजस्थान की निर्माता/विनिर्माता बोनाफाइड/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिक़त डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेण्ट हूं/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर लिया जावे तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्रद् कर दिया जावे।

शासन सचिवालय परिसर में आयोजित किये जाने वाले समारोह में टैन्ट, माईक एवं गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पसज्जा का कार्य किये जाने की दर संविदा हेतु दरे एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन कराने हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें -

- 1. निविदा प्रस्तुत करने वाले इच्छ्क फर्म/ संस्था द्वारा तकनीकी व वित्तीय- दोनों प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
- 2. बोली प्रतिभूति राशि रूपये 26,000/- (अक्षरे छब्बीस हजार मात्र) ई-ग्रास के माध्यम से जमा कराये जाकर चालान की प्रति प्रस्तुत करें ।
- 3. निविदाएं ऑन लाईन खोली जावेगी, इसलिए वित्तीय निविदा को छोडकर शेष सभी दस्तावेज यथा तकनीकी निविदा, डी.डी./बैंकर्स चैक निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 04/12/2023 को दोपहर 1.00 बजे तक विभाग में जमा करवाये जाने होंगे ।
- 4. यथा निर्धारित दिनांक व समय पर, यथा सूचित स्थान/ कार्यालय में ऑन लाईन प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। प्रक्रिया के तहत सर्व प्रथम तकनीकी निविदा को खोला जावेगा और वित्तीय निविदा सुरक्षित रखी जावेंगी। इस हेत् गठित कमेटी/ सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा।
- 5. निविदा दाता द्वारा तकनीकी निविदा में दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में तकनीकी समिति निविदा दाता के व्यवसायिक ठिकाने व अन्य समुचित स्थानों पर जा कर भौतिक सत्यापन भी कर सकती है।
- 6. तकनीकी निविदाओं के परीक्षण तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तुतिकरण, भौतिक सत्यापन आदि के बाद केवल उन निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा ऑन लाईन खोली जावेगी, जो कि तकनीकी निविदा परीक्षण/ प्रस्तुतिकरण मे सफल/उपयुक्त पाये जावेंगे। असफल/अन्पयुक्त निविदादाताओं की ऑन लाईन वितीय निविदा नहीं खोली जावेंगी।
- 7. निविदा में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त निविदादाता की स्वीकार नहीं होगी तथा कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय किसी भी निविदा को (न्यूनतम दर वाली निविदा सिहत) बिना किसी कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- 8. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
 - (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/ भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वह इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी।
- 9. दरें गन्तव्य स्थान पर एफ. ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु जीएसटी शामिल न करके इन्हें अलग से दिखया जाना चाहिए।
- 10. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों, आकार मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
- 11. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

12. विशेष शर्ते:-

- शासन सचिवालय में गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, गांधी जयंती, शहीद दिवस एव शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर आदेशानुसार टैंट, माईक, गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प सज्जा की व्यवस्था करनी होगी।
- अनुबंधकर्ता द्वारा कार्य आदेशानुसार व्यवस्था न करने एवं संतोषप्रद कार्य नहीं करने पर 5000/- रूपये प्रति समारोह या प्रति समारोह के बिल की राशि का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, शास्ति अधिरोपित की जावेगी! साथ ही समारोह के कार्य को अगर अन्य संस्था से पूर्ण/आंशिक व्यवस्था कराये जाने पर हर्जे-खर्चे की राशि का अनुबंधकर्ता से वसूल की जावेगी।
- गणतंत्र दिवस/स्वाधीनता दिवस/ अन्य समारोहों आदि के अवसर पर टैंट एवं माईक की व्यवस्था एक दिवस पूर्व व्यवस्थित तरीकें से पूर्ण कर संबंधित सक्षम अधिकारी को निरीक्षण करवाया जायेगा। सचिवालय में होने वाले प्रत्येक समारोह के लिए टैंट एवं माईक किराया एक दिन का ही देय होगा। 02 अक्टूबर और 30 जनवरी हेतु सफेद शामियाना की ही व्यवस्था करनी होगी।
- समारोह के अवसर पर अगर कोई सामान मंगाया गया जिसकी दरें निविदा में अनुमोदित नहीं है तो उसका भुगतान बाजार दरों पर सक्षम स्तर में अनुमोदन के पश्चात किया जायेगाः।

- टैंट का सामान उतम क्वालिटी का और साफ सुथरा होना चाहिए। गंदे/फटे और खराब सामान की व्यवस्था करने पर बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा। चादरें जहां तक संभव हो, नई बिछानी होगी।
- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में 5 प्रतिशत राशि का डीडी/बैकर्स चैक शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय के पक्ष में देय होगा। सफल निविदादाता को 15 दिवस में पंजीयक, शासन सचिवालय के यहां जमा कराना होगा।
- सामान लाने एवं ले जाने की जिम्मेदारी एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
- सुरक्षा विभाग के कर्मचारियो द्वारा सामान की जांच की जा सकेंगी।
- उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में वर्णित समस्त शर्तें भी मान्य होगी।
- निविदा स्वीकार होने पर 15 दिवस के अन्दर अन्दर नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादन करना होगा।
- शासन सचिवालय में प्रतिवर्ष 05 मुख्य कार्यक्रम एवं आवश्यकतानुसार विशेष कार्यक्रम सहित कुल 06 कार्यक्रम आयोजित किये जाते है यथा- गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, गांधी जयंती, शहीद दिवस, विशेष कार्यक्रम एव शपथ ग्रहण समारोह आदि जिनमें कार्यक्रमवार आवश्यक टैन्ट एवं पुष्पसज्जा सामग्री का एनेक्चर "ई" में उल्लेख किया गया है। दरदाता द्वारा एनेक्चर "आई" वितीय निविदा (schedule-I) में कार्यक्रमवार अनुमानित आईटमों की संख्या की एवज में कुल मूल्य राशि अंकित की जानी है अर्थात हर कार्यक्रम को एक पैकेज मानते हुए पैकेजवार कुल मूल्य राशि दी जानी है जिसका तुलनात्मक मूल्यांकन कार्यक्रमवार न्यूनतम के आधार पर किया जायेगाः।
- साथ ही, शासन सचिवालय में कई बार उपिरिलिखित 06 कार्यक्रमों के अतिरिक्त आदेशानुसार अन्य कार्यक्रमों यथा एकता दिवस, सिविल सर्विस हे, बजट पूर्व संवाद, उदद्याटन/शिलान्यास समारोह इत्यादि का आयोजन भी किया जाता है, जिसके लिए दरदाताओं को एनेक्चर आई वित्तीय निविदा (schedule-l l) में प्रत्येक मदों की प्रतिईकाई दर का अंकन किया जाना है। मुख्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त कार्यक्रम को सम्पादित कराये जाने हेतु इन दरों के आधार पर नयूनतम निविदादाता को कार्योदश दिया जायेगा फर्म को भुगतान किये गये कार्यों की मात्रा के आधार पर प्रत्येक मद की अनुमोदित दर के (प्रतिवर्गफुट/प्रतिनग/प्रतिकार्य) के हिसाब से किया जावेगाः।
- कई बार यह पाया गया है कि निविदादाताओं द्वारा कुछ आईटम विशेष की दरें अव्यवहारिक रूप से काफी कम (उचित बाजार दर के अनुरूप नहीं/ जिन दरों पर सामान्य रूप से सामग्री सप्लाई किया जाना संभव न हो) एवं कुछ मदों की दरें काफी अधिक प्रस्तुत की जाती है, जिससे दरों का निर्धारण युक्तियुक्त नहीं हो पाता है, इस मंतव्य के साथ प्रस्तुत की गई निविदा के संबंध में (स्वीकार/अस्वीकार करने का) अंतिम निर्णय कार्मिक विभाग का होगा।
- िकसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयप्र, राजस्थान होगा।
- 13. बोली प्रतिभूति राशि रूपये 26,000/- (अक्षरे छब्बीस हजार मात्र) ई-ग्रास के माध्यम से जमा कराये जाकर चालान की प्रति प्रस्तुत करें ।
- 14. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण:- बोली प्रतिभूति राशि को निम्नांकित मामलो में समपहयत कर लिया जाएगा:-
 - जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस ले लेता है या रूपान्तरण करता है।
 - जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
 - जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
 - वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदो का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

15. (1) करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप :-

- (i) सफल निविदादाता को दर स्वीकृति आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अविध के भीतर प्रारूप 17 में स्वंय के खर्चे पर रूपये 500/- स्टॉप पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित कराना होगा तथा जिन सामानों स्टोर्स के लिए निविदाएं स्वीकार की गई है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभृति एवं अनबेलेन्सड बिड के मामले में नियम 75 ए के अनुसार अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभृति राशि जमा करानी होगी, यह प्रतिभृति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।
- (ii कार्य सम्पादन प्रतिभूति अनुमोदित निविदा की 5 प्रतिशत राशि जमा कराई जायेगी।
- (iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भूगतान नहीं किया जाएगा।
- (iv) कार्य सम्पादन प्रतिभृति प्रतिभृति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें:-
 - (क) बैंक डाफट /बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति/एफडीआर
 - (ख्) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (Pledge) रखा जाएगा।

- (ग) राष्टीय बचत प्रमाण् पत्र, डिफेंस सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्टीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट /विलेख यदि उनहें यदि गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मुल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।
- (घ) बैंक गारण्टी एवं ई-बैंक गारण्टी
- (2) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें।
- (3) प्रतिभृति निक्षेप का समपहरण :-

प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जा सकेगा:-

- (क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लघंन किया गया।
- (ख्) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।
- (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- (4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प् लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) नि:शूल्क दी जाएगी।

16. भुगतान :-

- (i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमित न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- (ii) विविदास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भगतान कर दिया जाएगा।
- (iii) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका निरीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षाण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।
- 17. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुदर्गी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
 - (ii) परिसमापित नुकसानी :- परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अविध में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्निलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं:- (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्ते ही लागू होगी।

1.

(क)	विहित सुपुदर्गी अविध की एक चौथाई अविध तक के विलम्ब के	2.5 %
	लिए	
(ख्)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि	5%
	से अनिधिक के लिए	
(ग)	आधी अवधी से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से	7.5%
	अनिधिक अविध के लिए	
(घ्)	विहित अवधी की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

- 2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
- 3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- 4. यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो, वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया हैं। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अविध में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
- 6. वसूलियाँ :- परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट रदद् की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट रदद् किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- 18. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

- 19. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद् कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र मे विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हों।
- 20. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद. करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
- 21. निविदादाता करार को निष्पादित करते निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगा :-
 - (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 - (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
 - (İV) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्टार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- 22. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न् होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा। जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उच्च अधिकारियों की नियुक्ती करेगा। ये उस अधिकारी इस संविदा से सम्बद्ध नहीं होगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।
- 23. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार(सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर,राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
- 24. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 के प्रावधान लागू होगें।

निविदादाता का नाम मय हस्ताक्षर एवं मोहर	
ויוויין אין יוויין פוויין אין פוויין אין פוויין אין פוויין	
दिनांक	
निविदादाता/संस्था का नाम एवं फर्म की मोहर	
संस्था की स्थिती में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व	
पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर	
फोन नं.	
मोबाईल नं.	

शासन उप सचिव कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय

विषय-निविदा प्रस्तुत करने बाबत ।

महोदय.

ई-निविदा सूचना क्रमांक 1(7) कार्मिक/ख—3/2023 दिनांक 21/11/2023 के क्रम में शासन सचिवालय परिसर में आयोजित किये जाने वाले समारोह में टैन्ट, माईक एवं गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पसज्जा का कार्य किये जाने की दर संविदा हेतु दरे एक वर्ष की अविध (स्वीकृति पत्र जारी होने की दिनांक से) के लिए अनुमोदन हेतु अपने अनुबंध के साथ इस टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, दरों का वितीय निविदा प्रपत्र में उल्लेख किया है।

1. निम्नलिखित दस्तावेज फीस आदि जमा किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किये जा रहे है-

क्र0सं0.	विवरण्	नम्बर	दिनांक	राशि
1.	निविदा शुल्कः 500.00 रुपये ई ग्रास सिस्टम पर चालान द्वारा ऑन लाईन जमा			
	जीएसटी शुल्कः रु. 90/- डीडी/ बैंकर चैक (उप शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय,			
	जयुपर के नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो) को कार्यालय में प्रस्तुत कराया गया, जिसका अपलोडेशन ईप्रोक्योरमेन्ट पर भी किया गया।			
2.	RISL प्रसंस्करण शुल्कः रु. 500/- ई ग्रास सिस्टम ऑनलाईन अथ्या Managing Director, RISL, जयपुर के नाम पर बैंकर्स चैक/डीडी			
3.	बोली प्रतिभूति राशि रूपये 26,000 अक्षरे छब्बीस हजार मात्र ई- ग्रास सिस्टम पर चालान द्वारा ऑनलाईन जमा कराई गई है।			

- 2. अनुबंध की अवधि दरें स्वीकृति पत्र जारी होने की दिनांक से एक वर्ष के लिए होगीा
- 3. मैं/ हम तकनीकी और वित्तीय बोली का मूल्यांकन विभाग द्वारा जिस भी प्रक्रिया से किया जावेगा उसके लिए हम बाध्य होगें ।
- 4. इस निविदा स्वीकार किया जाना चाहिए, मैं / हम एतद्द्वारा (एनेक्सर-ए से एच तक, आई के अतिरिक्त) के साथ ही विधिवत हमें मेरे द्वारा हस्ताक्षरित नियमों और शर्तों का पालन करने पर सहमत हैं। मैं/हम मेरे/हमारी ओर से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगा रहे हैं।
- 5. इस संबंध में सभी कार्यक्रम और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न हैं। सभी दस्तावेजों/दस्तावेजों की फोटोकॉपी मेरे द्वारा स्वयं सत्यापित किया गया है/हमें और कार्मिक विभाग दस्तावेजों के दस्तावेजों/फोटोकॉपी के किसी भी है कि अगर कानून के किसी सक्षम न्यायालय में हम/मुझ पर विभाग मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र है।
- 6. हमारे बारे में अन्य आवश्यक विवरण तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
स्थिति / हस्ताक्षरकर्ता के पोस्ट	
फर्म / एजेंसी का नाम	
दिनांक	

Tender inviting Authority	शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग					
Name of Work	शासन सचिवालय परिसर में आयोजित किये जाने वाले समारोह में टैन्टए माईक एवं गांधी जी की प्रतिमा स्थल					
	पर पुष्पसञ्जा का कार्य।					
Contract No. Ref. NIT No.	प. 1(7)कार्मिक/ख-3/2023 दिनांक 21.11.2023					
Bidder Name	idder Name					
	(cabadula I)					

(schedule-I)

1. गणतंत्र दिवस समारोह (26 जनवरी) में टैन्ट, माईक एवं पुष्पसज्जा हेतु अनुमानित न्यूनतम सामग्री का विवरण -

क्र.स.	आईटम/सामग्री	सामग्री की कुल मात्रा	अनुमानित राशि	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत राशि जीएसटी सहित
1		_		(एकमुश्त)
	वाटरपूफ मिनी डोम	16000 वर्ग फीट		
2	कारपेट ग्रीन	24000 वर्ग फीट		
3	कारपेट रेड	9000 वर्ग फीट		
4	मेटिंग वूलन/गलीचा	200 वर्ग फीट		
5	स्ट्रेट वॉल	8000 वर्ग फीट		
6	कुर्सी डनलप मय कवर	900 नग		
7	कुर्सी प्लास्टिक	100 नग		
8	पोल कवर	110 नग	लगभग	
9	तस्त/प्लाईवुड	1550 नग	राशि रूपये	
10	चादर बडी	2500 वर्ग फीट	4.00 लाख	
11	पानी की बोतल (2०० मिली.)	4000 नग		
12	पानी की बोतल (5०० मिली.)	240 नग		
13	गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्प सज्जा हेतु	1 कार्य		
	सामग्री की नाम मात्रा			
	1. हजारा माला 400 माला (दो फीट लम्बी)			
	2. हरी माला 350 माला (दो फीट लम्बी)			
	3. गुलाब गजरा 1 नग (8 फीट लम्बा)			
	4. गुलाब पत्ती 15 किला			
	5. हजारा पत्ती 15 किलो			
	6. नवरंग फूल पत्ती 15 किलो			
14	कालर माईक	8 नग		
15	माईक का सामान (आवश्यकतानुसार समस्त उपकरणों	1 कार्य		
	के साथ रिकार्डिंग सिस्टम भी होना आवश्यक है)			
16	स्टेज	1200 वर्गफीट		

- समारोह में टैन्टए माईक एवं पुष्पसज्जा का कार्य की व्यवस्था पंजीयकए शासन सचिवालय के निर्देशानुसार की जानी होगीा
 कार्य की व्यवस्था समारोह के एक दिन पूर्व कर पंजीयकए शासन सचिवालय को निरीक्षण करवाया जाना होगाा उक्त सारणी
 में वर्णित सामान की मात्रा अनुमानित हैए जिसमें समारोह में आवश्यकतानुसार कमी या बढोतरी की जा सकती है या अन्य
 सामान् भी मंगवाया जा सकता है। अतिरिक्त आईटमों का भुगतान अलग से किया जायेगा ।
- दरदाता द्वारा कार्यक्रमवार समेकित दर अंकित की जानी है, जिसका तुलनात्मक मूल्यांकन कार्यक्रमवार सम्पूर्ण कार्य कुल मूल्य राशि के न्यूनतम खर्च पर किया जायेगा अर्थात एल-1 का निर्धारण कार्यक्रमवार प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर किया जायेगा

2. शहीद दिवस (30 जनवरी) में टैन्ट, माईक एवं पुष्पसज्जा हेतु अनुमानित न्यूनतम सामग्री का विवरण : -

क्र.स.	आईटम/सामग्री	सामग्री की	निविदा की	निविदादाता द्वारा
		अनुमानित मात्रा	अनुमानित	प्रस्तुत राशि
			राशि	जीएसटी सहित
				(एकमुश्त)
1	वाटरप्रूफ पाईप पाण्डाल	4500 वर्ग फीट		
2	कारपेट ग्रीन	6500 वर्ग फीट		
3	कारपेट रेड	2000 वर्ग फीट		
4	मेटिंग वूलन/गलीचा	1200 वर्ग फीट		
5	स्ट्रेट वॉल	1200 वर्ग फीट	लगभग	
6	मसन्द मय कवर	50 नग	राशि रूपये	
7	गददा 3' x 6'	120 नग	0.70 लाख	
8	तस्त/प्लाईवुड	10 नग		
9	चादर बडी	5000 वर्ग फीट		
10	पानी की बोतल (200 मि.ली.)	720 नग		
11	पानी की बोतल (500 मि.ली.)	120 नग		
12	गांधीजी की प्रतिमा स्थल पर पुष्प सज्जा हेतु	1 कार्य		
	सामग्री का नाम मात्रा			
	1. हजारा माला 400 माला (दो फीट लम्बी)			
	2. हरी माला 350 माला (दो फीट लम्बी)			
	 गुलाब गजरा 1 नग (8 फीट लम्बा) 			
	4. गुलाब पत्ती 15 किलो			
	5. हजारा पत्ती 15 किलो			
	6. नवरंग फूल पत्ती 15 किलो			
13	माईक का सामान (आवश्यकतानुसार समस्त उपकरणों के साथ	1 कार्य		
	रिकॉर्डिंग सिस्टम भी होना आवश्यक है)			
14	स्टेज (वर्गफीट)	12 X 18	_	
14	स्टज (वगफाट)	12 X 18		

- समारोह में टैन्टए माईक एवं पुष्पसज्जा का कार्य की व्यवस्था पंजीयकए शासन सचिवालय के निर्देशानुसार की जानी होगी कार्य की व्यवस्था समारोह के एक दिन पूर्व कर पंजीयकए शासन सचिवालय को निरीक्षण करवाया जाना होगा। उक्त सारणी में वर्णित सामान की मात्रा अनुमानित हैए जिसमें समारोह में आवश्यकतानुसार कमी या बढोतरी की जा सकती है या अन्य सामान् भी मंगवाया जा सकता है। अतिरिक्त आईटमों का भुगतान अलग से किया जायेगा ।
- दरदाता द्वारा कार्यक्रमवार समेकित दर अंकित की जानी है, जिसका तुलनात्मक मूल्यांकन कार्यक्रमवार सम्पूर्ण कार्य कुल मूल्य राशि के न्यूनतम खर्च पर किया जायेगा अर्थात एल-1 का निर्धारण कार्यक्रमवार प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर किया जायेगा

3. स्वतंत्रता दिवस समारोह (15 अगस्त) में टैन्ट, माईक एवं पुष्पसज्जा हेतु अनुमानित न्यूनतम सामग्री का विवरण :-

क्र.स.	आईटम/सामग्री	सामग्री की कुल मात्रा	अनुमानित	निविदादाता द्वारा
			राशि	प्रस्तुत राशि
				जीएसटी सहित
				(एकमुश्त)
1	वाटरप्रूफ मिनी डोम	16000 वर्ग फीट		
2	कारपेट ग्रीन	24000 वर्ग फीट		
3	कारपेट रेड	9000 वर्ग फीट		
4	मेटिंग यूलन/गलीचा	200 वर्ग फीट		
5	स्ट्रेट वॉल	8000 वर्ग फीट		
6	कुर्सी डनलप मय कवर	900 नग		
7	कुर्सी प्लास्टिक	100 नग		
8	पोल कवर	110 नग	लगभग	
9	तस्त⁄प्लाईवुड	1550 नग	राशि रूपये	
10	चादर बडी	2500 वर्ग फीट	4.00 लाख	
11	पानी की बोतल (2०० मिली.)	4000 नग		
12	पानी की बोतल (5०० मिली.)	240 नग		
13	गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्प सज्जा हेतु	1 कार्य		
	सामग्री की नाम मात्रा			
	ा. हजारा माला 400 माला (दो फीट लम्बी)			
	2. हरी माला 350 माला (दो फीट लम्बी)			
	3. गुलाब गजरा			
	4. गुलाब पत्ती 15 किला			
	5. हजारा पत्ती			
	6. नवरंग फूल पत्ती 15 किलो			
14	कालर माईक	8 नग		
15	माईक का सामान (आवश्यकतानुसार समस्त उपकरणों	1 कार्य		
	के साथ रिकार्डिंग सिस्टम भी होना आवश्यक है)			
16	स्टेज	1200 वर्गफीट		

- समारोह में टैन्टए माईक एवं पुष्पसज्जा का कार्य की व्यवस्था पंजीयकए शासन सचिवालय के निर्देशानुसार की जानी होगी।
 कार्य की व्यवस्था समारोह के एक दिन पूर्व कर पंजीयकए शासन सचिवालय को निरीक्षण करवाया जाना होगा। उक्त सारणी
 में वर्णित सामान की मात्रा अनुमानित हैए जिसमें समारोह में आवश्यकतानुसार कमी या बढोतरी की जा सकती है या अन्य सामान् भी मंगवाया जा सकता है। अतिरिक्त आईटमों का भुगतान अलग से किया जायेगा ।
- दरदाता द्वारा कार्यक्रमवार समेकित दर अंकित की जानी है, जिसका तुलनात्मक मूल्यांकन कार्यक्रमवार सम्पूर्ण कार्य कुल मूल्य राशि के न्यूनतम खर्च पर किया जायेगा अर्थात एल-1 का निर्धारण कार्यक्रमवार प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर किया जायेगा

4. शपथ ग्रहण समारोह में टैन्ट माईक एवं पुष्पसज्जा हेतु अनुमानित न्यूनतम सामग्री का विवरण-

क्र. सं.	सामग्री का नाम	सामग्री की	अनुमानित र	तिश	निविदाद	ाता
		अनुमानित मात्रा			दवारा	प्रस्तुत
					राशि	जीएसटी
					सहित	(एक
					मुश्त)	
1	मिनी डोम (60 X40)	2400 वर्ग फीट	लगभग	राशि		
2	कारपेट ग्रीन	20000 वर्ग फीट	रूपये	2.00		
3	करपेट रेड	6500 वर्ग फीट	लाख			
4	कुर्सी डनलप मय कवर	1100 नग				
5	र्स्टेट वाल	8000 वर्ग फीट				
6	पोल कवर	150 नग				
7	माईक का सामान (आवश्यकतानुसार समस्त	1 कार्य				
	उपकरणों के साथ रिकार्डिगं सिस्टम भी					
	होना आवश्यक है)					
8	तख्त/ प्लाईवुड	250 नग				
9	पाईप पाण्डाल	10,000 वर्ग फीट				
10	चादर बडी	1200 वर्ग फीट				
11	स्टेज (20X 32)	640 वर्ग फीट				
12	पानी की बोतल (200 मिली)	2400 नग				
13	पानी की बोतल (500 मिली)	240 नग				

- समारोह में टैन्ट, माईक एवं पुष्पसज्जा का कार्य की व्यवस्था पंजीयक, शासन सचिवालय के निर्देशानुसार की जानी होगीा कार्य की व्यवस्था समारोह के एक दिन पूर्व कर पंजीयक, शासन सचिवालय को निरीक्षण करवाया जाना होगा। उक्त सारणी में वर्णित सामान की मात्रा अनुमानित है, जिसमें समारोह में आवश्यकतानुसार कमी या बढोतरी की जा सकती है या अन्य सामान भी मंगवाया जा सकता है। अतिरिक्त आईटमों का भुगतान अलग से किया जायेगा।
- दरदाता द्वारा कार्यक्रमवार समेकित दर अंकित की जानी है, जिसका तुलनात्मक मूल्यांकन कार्यक्रमवार सम्पूर्ण कार्य कुल मूल्य राशि के न्यूनतम खर्च पर किया जायेगा अर्थात एल-1 का निर्धारण कार्यक्रमवार प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर किया जायेगा

5.गांधी जयंती (02 अक्टूबर) में टैन्ट माईक एवं पुष्पसज्जा हेतु अनुमानित न्यूनतम सामग्री का विवरण-

क्र. सं.	सामग्री का नाम	सामग्री की	अनुमानित राशि	निविदादाता
		अनुमानित मात्रा		दवारा प्रस्तुत
				राशि जीएसटी
				सहित (एक
				मुश्त)
1	वाटर प्रूफ पाईप पांडाल	4500 वर्ग फीट	लगभग राशि	
2	कारपेट ग्रीन	6500 वर्ग फीट	रूपये 0 .70	
3	करपेट रेड	2000 वर्ग फीट	लाख	
4	मेटिंग वुलन/गलीचा	1200 वर्ग फीट		
5	र्स्टेट वाल	1200 वर्ग फीट		
6	मसंद मय कवर	50 नग		
7	गददा 3X6 फीट	120 नग		
8	तस्त/ प्लाईवुड	10 नग		
9	चादर बडी	5000 वर्ग फीट		
10	पानी की बोतल (200 मिली)	720 नग		
11	पानी की बोतल (500 मिली)	120 नग		
12	गांधी जी की प्रतीमा स्थल पर पुष्प सज्जा हेतु	1 कार्य		
	सामाग्री का नाम मात्रा			
	1. हजारा माला 400 माला (दो फीट लम्बी)			
	2. हरी माला 350 माला (दो फीट लम्बी)			
	3. गुलाब गजरा 1 नग (8 फीट लम्बा)			
	4. गुलाब पत्ती 15 किलो			
	5. हजारा पत्ती 15 किलो			
	6. नवरंग फूल पत्ती 15 किलो			
13	माईक का सामान (आवश्यकतानुसार समस्त	1 कार्य		
	उपकरणों के साथ रिकार्डिगं सिस्टम भी होना			
	आवश्यक है)			
14	स्टेज (वर्ग फीट)	(12 X 18)		

- समारोह में टैन्ट, माईक एवं पुष्पसज्जा का कार्य की व्यवस्था पंजीयक, शासन सचिवालय के निर्देशानुसार की जानी होगीा
 कार्य की व्यवस्था समारोह के एक दिन पूर्व कर पंजीयक, शासन सचिवालय को निरीक्षण करवाया जाना होगाा उक्त सारणी
 में वर्णित सामान की मात्रा अनुमानित है, जिसमें समारोह में आवश्यकतानुसार कमी या बढोतरी की जा सकती है या अन्य
 सामान् भी मंगवाया जा सकता है। अतिरिक्त आईटमों का भुगतान अलग से किया जायेगा ।
- दरदाता द्वारा कार्यक्रमवार समेकित दर अंकित की जानी है, जिसका तुलनात्मक मूल्यांकन कार्यक्रमवार सम्पूर्ण कार्य कुल मूल्य राशि के न्यूनतम खर्च पर किया जायेगा अर्थात एल-1 का निर्धारण कार्यक्रमवार प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर किया जायेगा।

6. आवश्कतानुसार विशेष आयोजन में टैन्ट माईक एवं पुष्पसज्जा हेतु अनुमानित न्यूनतम सामग्री का विवरण-

क्र. सं.	सामग्री का नाम	सामग्री की	अनुमानित राशि	निविदादाता
		अनुमानित मात्रा		दवारा प्रस्तुत
				राशि जीएसटी
				सहित (एक
				मुश्त)
1	मिनी डोम (60 X40)	2400 वर्ग फीट	लगभग राशि	
2	कारपेट ग्रीन	13000 वर्ग फीट	रूपये 1.60 लाख	
3	करपेट रेड	6000 वर्ग फीट		
4	कुर्सी डनलप मय कवर	1000 नग		
5	स्टेंट वाल	8000 वर्ग फीट		
6	पोल कवर	140 नग		
7	माईक का सामान (आवश्यकतानुसार समस्त	1 कार्य		
	उपकरणों के साथ रिकार्डिगं सिस्टम भी			
	होना आवश्यक है)			
8	तख्त/ प्लाईवुड	200 नग		
9	पाईप पाण्डाल	9000 वर्ग फीट		
10	चादर बडी	500 वर्ग फीट		
11	स्टेज (20X 32)	640 वर्ग फीट		
12	पानी की बोतल (200 मिली)	2400 नग		
13	पानी की बोतल (500 मिली)	240 नग		

- समारोह में टैन्ट, माईक एवं पुष्पसज्जा का कार्य की व्यवस्था पंजीयक, शासन सचिवालय के निर्देशानुसार की जानी होगी। कार्य की व्यवस्था समारोह के एक दिन पूर्व कर पंजीयक, शासन सचिवालय को निरीक्षण करवाया जाना होगा। उक्त सारणी में वर्णित सामान की मात्रा अनुमानित है, जिसमें समारोह में आवश्यकतानुसार कमी या बढोतरी की जा सकती है या अन्य सामान् भी मंगवाया जा सकता है। अतिरिक्त आईटमों का भुगतान अलग से किया जायेगा।
- दरदाता द्वारा कार्यक्रमवार समेकित दर अंकित की जानी है, जिसका तुलनात्मक मूल्यांकन कार्यक्रमवार सम्पूर्ण कार्य कुल मूल्य राशि के न्यूनतम खर्च पर किया जायेगा अर्थात एल-1 का निर्धारण कार्यक्रमवार प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर किया जायेगा

(schedule-I I)

क	सामग्री का	विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर
स			प्रतिवर्गफुट/प्रतिनग (जीएसटी सहित)
1	त्रिपाल (वर्ग फुट)		
2	कुर्सी डनलप मय कवर (नग)		
3	कुर्सी प्लास्टिक (नग)		
4	तस्त (नग) 2' x 6'		
5	स्टेज (वर्ग फुट)		
6	कालीन/कारपेट यूलन(वर्ग फुट)		
7	पाईप पाण्डाल (वर्ग फुट)		
8	मिनी डोम वाटरप्रूफ (वर्ग फुट)		
9	चुन्नट पर्दा (वर्ग फुट)		
10	स्टरेट वॉल (वर्ग फुट)		
11	मेटिंग(नॉन वूलन कारपेट) (वर्ग फुट)		
12	गददा छोटा 3' x 6' (नग)		
13	मसन्द मय कवर (नग)		
14	चादर बडी (वर्ग फुट)		
15	ड्रम (नग)		
16	पोल कवर (नग)		
17	स्टेज सीढी (नग)		
18	कॉलर माईक (नग)		
19	माईक का सामान् (आवश्यकतानुसार समस्त	उपकरणों के साथ रिकॉडिंग सिस्टम भी	
	होना आवश्यक है)		
20	गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पसज्जा हेतु		
	सामग्री का नाम		
	हजारा माला (दो फीट लम्बी)	प्रतिनग	
	हरी माला (दो फीट लम्बी)	प्रतिनग	
	गुलाब गजरा(8 फीट लम्बा)	प्रतिनग	
	गुलाब पत्ती	प्रति किलो	
	हजारा पत्ती	प्रति किलो	
	नवरंग फूल पत्ती	प्रति किलो	
21	मिनरल वॉटर की बोतल (200 मि.ली).		
22	मिनरल वॉटर की बोतल (500 मि.ली.)		
23	पानी का कैम्पर 20 लीटर (नग)		
24	टॉवर एसी फिटिंग सहित (3 टन) (नग)		
25	डिस्पोजल कागज पानी ग्लास 100 नग पैकेट	(नग)	
26	मिस्ट फैन फिटिंग सहित (नग)		
27	सोफा कवर सहित डबल सीट (नग)		

28	जम्बो कूलर फिटिंग सहित (नग)	
29	प्लाई यूड (4 x 8) (नग)	

नोट-

- जिस फर्म की अधिकतम आईटमों की दरें न्यूनतम पायी जायेगी, उस फर्म को अन्य फर्मों के नयूनतम दरों वाले आईटम पर सहमित के आधार पर Schedule-I I के एल-1 का निर्धारण किया जायेगा।
- Schedule-I में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त कार्य कराये जाने की स्थिति में Schedule-II के अनुसार किये गये कार्यों की मात्रा के आधार पर प्रत्येक मद की अनुमोदित दर के (प्रतिवर्ग फुट/प्रतिनग) के हिसाब से फर्म को भुगतान किया जावेगा।
- निविदादाताओं द्वारा कुछ आईटम विशेष की दरें अव्यवहारिक रूप से काफी कम (उचित बाजार दर के अनुरूप नहीं/ जिन दरों पर सामान्य रूप से सामग्री सप्लाई किया जाना संभव न हो) एवं कुछ मदों की दरें काफी अधिक प्रस्तुत की जाती है, जिससे दरों का निर्धारण युक्तियुक्त नहीं हो पाता है, इस मंतव्य के साथ प्रस्तुत की गई निविदा के संबंध में (स्वीकार/अस्वीकार करने का) अंतिम निर्णय कार्मिक विभाग का होगा।
 - 1. निविदादाता का नाम
 - 2. डाक का पता
 - टेलीफोन नं. (दुकान)
 जयपुर, दिनांक

(मोबाईल)